Email- nagarpanchayat.jogbani@gmail.com
Phone no. 06455- 242615

कार्यालय नगर पंचायत जोगबनी (अररिया)

पत्रांक–...40...

प्रेषक :– कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जोगबनी

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
बिहार, पटना।

जोगबनी, दिनांक–...12/01/19...

विषय :– लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या–266/13–14 के कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या– 266/2013–14 के विभिन्न कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में साक्ष्य के साथ भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस अंकेक्षण आपति से मुक्त करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
ह0/–
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जोगबनी

ज्ञापांक–...40... दिनांक–...12/01/19...

प्रतिलिपि–सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जोगबनी
12/01/19

कार्यालय नगर पंचायत, जोगबनी (अररिया)

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–266/13–14 अनुपालन प्रतिवेदन
अंकेक्षित अवधि वर्श 2011–12 एवं 2012–13

पारा सं0	आपत्ति	अनुपालन	टिप्पणी मन्तव्य	आदेश
1	प्रस्तावना –	–––		
2	प्रशासन –	–––		
3	अंकेक्षण परिसीमा –	–––		
4	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन –	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–22/08–09 अंकेक्षण अवधि वर्श 2001–02 से 2006–07 का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक–359 दिनांक–21.07.10 को भेजा जा चूका है (छायाप्रति संलग्न) एवं 59/12–13 अंकेक्षित अवधि 2007–08 से 2010–11 का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक–738 दिनांक–10.09.14 द्वारा भेजा गया है एवं भोश प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
5	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन –	भविश्य में इसका अनुसरण किया जायेगा।		
6	लेखा परीक्षा का महत्वपूर्ण उपलब्धियां–	–––		
7	सामान्य रोकड़ बही का अधिदृश्य–	संबंधित कंडिका में दिये गये निर्देश का पालन करते हुए अनुपालन अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा एवं भविश्य में उक्त आपति का ध्यान रखा जायेगा।		
8	बी0आर0जी0एफ0 योजना का अधिदृश्य–	154284/– (एक लाख चौवन हजार दो सौ चौरासी) रूपये का बैंक समाधान तैयार कर लिया गया है। अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। साक्ष्य संलग्न है।		
9	कबीर अन्त्येश्टि योजना का अधिदृश्य–	कबीर अन्त्येश्टि योजनान्तर्गत वार्ड पार्शद एवं कर्मचारी का संयुक्त खाता खोल लिया गया है एवं अन्य आपतियों का निराकरण भी कर लिया गया है। अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।		
10	बजट प्राक्कलन–	भविश्य में संतुलित बजट बनाने पर ध्यान दिया जायेगा।		
11 (1)	अनुदान–	अनुदान पंजी संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
11 (2)	पूंजी का अवरोधन –	विभिन्न मदों में प्राप्त सरकारी अनुदान की राशि में से चतर्थ राज्य वित आयोग की राशि दिनांक–31.03.13 को प्राप्त हुआ है। जिसका व्यय 2013–14 से होना प्रारंभ है। भोश अनुदानों की राशि भी व्यय किया जा रहा है एवं व्यय की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।		

12 (1)	गृहकर, जलकर, शौचकर, स्वास्थ्य कर एवं शिक्षा उपकर की राशि –	बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाया जा रहा है एवं वसूली का भरपूर प्रयास जारी है।		
12 (2)	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं –	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि को संबंधित शीर्ष में जमा करने के लिए शीर्ष की जानकारी नहीं है। भीर्श की जानकारी के लिए सरकार से पत्राचार किया जा रहा है।		
13 (1)	सैरात की राशि कम जमा–	सम्बन्धित व्यक्तियों से सैरात की राशि जमा करवाने की कार्रवाई की जा रही है। वसूल की गयी राशि अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
13 (2)	स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं –	स्टाम्प शुल्क की वसूली के संबंध में निबंधन विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र उपलब्ध नहीं होने एवं जानकारी के अभाव में एकरारनामा का निबंधन नहीं कराया जा सका था। भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा।		
14	विलोपित –	–––		
15	विज्ञापन पर व्यय –	विज्ञापनों का प्रकाशन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पटना के माध्यम से कराया जाता है। जिसका साक्ष्य संलग्न है।		
16	कम जमा/ नहीं जमा –	अंकेक्षण के दौरान जमा करायी गयी 125489/– (एक लाख पच्चीस हजार चार सौ नवासी रूपये) मात्र अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। मो0–311195/– (तीन लाख ग्यारह हजार एक सौ पनचानबे रूपये) मात्र में से अबतक निम्न विवरण के अनुसार जमा कराया गया है। शेष राशि जमा करवाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।		

क्र0	नाम	आपति की राशि	जमा की राशि	शेष राशि
1	सज्जन रजक	37266.00	37266.00	0.00
सज्जन रजक द्वारा जमा की राशि का Ch. No. दिनांक एवं राशि		Ch. No. 42/ 29.08.13	30500.00	
		Ch. No. [illegible]	[illegible]	
		Mr. no. 3111/12.01.19	6766.00	
2	परवेज आलम	273713.00	190596.00	83117.00
परवेज आलम द्वारा जमा की राशि का Ch. No. दिनांक एवं राशि		Ch. No. 28/ 29.06.13	30000.00	
		Ch. No. 50/ 21.09.13	30000.00	
		Ch. No. 78/ 23.12.13	18500.00	
		Ch. No. 83/ 04.01.14	5000.00	
		Ch. No. 55/ 03.07.14	35000.00	
		Ch. No. 56/ 25.08.15	72096.00	
3	मो0 नसीरूद्दीन	216.00	216.00	0.00
मो0 नसीरूद्दीन द्वारा जमा की राशि का Ch. No. दिनांक एवं राशि		Ch. No. 81/ 29.09.14	216.00	
योग :–		**311195.00**	**237836.00**	**73333.00**

17 (1)	बिजली विपत्र का भुगतान– (4.79 लाख)–	बिहार इलेक्ट्रिक बोर्ड को नगर पंचायत क्षेत्र में नये सिरे से मीटर स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है। नया मीटर स्थापित करने के लिए प्रयास जारी है।		
17 (2)	पानी ट्रैंकर क्रय में अनियमितता–	मेसर्स फ्रेन्ड्स ट्रेडर्स फारबिसगंज का विपत्र भैट सहित 215250/– (दो लाख पन्द्रह हजार दो सौ पचास रूपये) मात्र था। आपूर्तिकर्ता को मात्र सामग्री का मूल्य भुगतान किया गया है। भैट की राशि 10250/– (दस हजार दो सौ पचास रूपये) मात्र संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। पानी टंकी का उपयोग समय–समय पर किया जा रहा है।		
17 (3)	250 वाट सोडियम वेपर लैम्प का क्रय (35 पीस) –	आपूर्तिकर्ता का विपत्र कर सहित 137209/– (एक लाख सैंतीस हजार दो सौ नौ रूपये) मात्र का था। भैट की राशि मो0–15919/– (पन्द्रह हजार नौ सौ उन्नीस रूपये) काट कर कुल सामग्री का मूल्य मो0–121290/– (एक लाख इक्कीस हजार दो सौ नब्बे रूपये) मात्र का हीं भुगतान हुआ है। भैट की राशि संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। अन्य आपतियों का निराकरण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
17 (4)	जेनरेटर का क्रय–	भविश्य में अनुसरण किया जायेगा।		
17 (5)	सी0एफ0एल0 स्ट्रीट लाईट का क्रय (13वें वित्त) –	मेसर्स फ्रेन्ड्स ट्रेडर्स फारबिसगंज आपूर्तिकर्ता को भुगतान किये गये विपत्रों की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है :– भाउचर नं0 — तिथि — राशि 168 — 13.10.12 — 275000.00 178 — 19.10.12 — 99000.00 कुल योग :– 374000.00 (तीन लाख चौहतर हजार रूपये) मात्र भुगतान की गयी है। भैट 13.125 प्रतिशत की दर से राशि 49088/– (उनचास हजार अठासी रूपये) मात्र संबंधित विभाग के शीर्ष में जमा कर दिया गया है जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। राशि का भुगतान विपत्र के विरूद्ध किया गया है। अधिक भुगतान नहीं किया गया है।		
17 (6)	जे0सी0बी0 मशीन का क्रय (12वें वित्त)–	जे0सी0बी0 मशीन के आपूर्तिकर्ता के विपत्र से आयकर काटने का किसी भी स्तर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार सिविल संविदा के विपत्रों से 2.26 प्रति त आयकर काटने का निर्देश आयकर विभाग से प्राप्त है। उसी प्रकार सामग्री आपूर्ति में भी होना चाहिए। इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर अनुपालन अव य किया जायेगा तथा जे0सी0बी0 उपयोग की संचिका अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
17 (7)	हाथ कुड़ागाड़ी का क्रय (12वें वित्त)–	हाथ कूड़ागाड़ी की आपूर्तिकर्ता को भैट की राशि काटकर भुगतान किया गया है। भैट की रा‍ि 3456/– (तीन हजार चार सौ अनठावन रूपये) मात्र संबंधित भीर्श में जमाकर दिया गया है तथा दर्ज भंडार पंजी को अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		

17 (8)	फोगिंग म ीन का क्रय (12वें वित्त)–	फोगिंग मशीन की आपूर्ति पर किया गया भुगतान से काटी गयी भैट की राि ा 3996/– (तीन हजार नौ सौ छियानब्बे रूपये) मात्र संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है तथा भंडार पंजी अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
18	विलोपित–	–––		
19 (1)	योजनाओं की भौतिक स्थिति–	अपूर्ण शेष 16 योजनाओं में 13 योजनाऐं पूर्ण हो चूकी है एवं 03 योजनाऐं रद्द कर दी गयी है।		
19 (2)	योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता–	योजना सं0–17/11–12 में मिट्टी का कार्य 340' X 7' में करना था एवं प्राक्कलन में मात्र 6" मिट्टी भराई का प्रावधान था परन्तु कार्य स्थल की स्थिति को देखते हुए मिट्टी भी भराई 01' X 03' करनी पड़ी। इसलिए निर्मित प्राक्कलन एवं वास्तविक कार्य में अन्तर होना स्वाभाविक है। प्राक्कलन की राि ा मो0–300000/– (तीन लाख रूपये) मात्र थी। बोर्ड की राि ा घटाकर मो0–296677/– (दो लाख छियानब्बे हजार छः सौ सतहर रूपये)मात्र होता है। इस प्राक्कलित राि ा के अन्तर्गत मापीपुस्त के अनुसार 272040/– (दो लाख बहतर हजार चालीस रूपये) मात्र एवं बोर्ड हेतु 3500/– (तीन हजार पांच सौ रूपये) मात्र का भुगतान हुआ है। कुल भुगतान मो0–275540/– रूपये मात्र का भुगतान किया गया है। जिसके अन्तर्गत मिट्टी का कार्य समायोजित है। इस प्रकार अधिक भुगतान नहीं माना जाना चाहिए।		
19 (3)	योजना पंजी के संधारण में त्रुटियां–	उक्त आपति पर भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।		
19 (4)	भैट, रॉयाल्टी, इनकम टैक्स की काटी गयी राशि जमा नहीं –	जमा राशि की भैट एवं आयकर की राशि जमा की गयी है। रॉयाल्टी की राशि जमा कर दिया गया है जिसे अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जायेगा।		
19 (5)	क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती नहीं –	क्षतिपूर्ति भुल्क कटौती करने की नगर पंचायत में योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली के नियमों के तहत होते आया है। इसके साथ कुछ वर्शो से लोक निर्माण संहिता में नगर पंचायत के लिए सुसंगत धारा को स्वीकार कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है परन्तु जानकारी के अभाव में क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया पालन करने में भूल हुई है। भविश्य में क्षतिपूर्ति भुल्क कटौती के संबंध में संवेदकों को अवगत कराया जा रहा है तथा इसे कड़ाई से लागू करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।		
19 (6)	श्रम उपकर की काटौती नहीं–	श्रम उपकर की कटौती के संबंध में श्रम विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र वर्श 2013–14 में प्राप्त हुआ है। इसलिए 2013–14 से श्रम उपकर की कटौती की जा रही है। इसके पूर्व प्रपत्र उपलब्ध नहीं था। वर्तमान में कटौती की जा रही है।		

19 (7)	सुरक्षित जमा की कटौती नहीं–	संवेदकों के विपत्र से 05 प्रति त सुरक्षित जमा कटौती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।		
19 (8)	गुणवत्ता की जांच गुणवत्ता नियंत्रण विभाग से कराये बिना भुगतान किया जाना–	इस निर्देश का पालन किया जा रहा है।		
20	सामान्य भविष्य निधि–	भविष्य निधि एवं अंशदान की राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाता तथा पेंशन खाता में जमा की गयी है। साक्ष्य अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		
21	संविदा पर रखे गये कर्मचारियों पर व्यय– मो0–1945167.00	नगर पंचायत की स्थापना 1968 में हुई एवं कार्यरत 1973–74 से है। उस समय सरकार से स्वीकृत 10 पद थे। 1974 से 2013 तक स्वीकृत पद में कोई वृद्धि नहीं हुई। 1974 की अपेक्षा 2013 की आबादी सड़क,नाला की संख्या में काफी वृद्धि होने के कारण दैनिक मजदुर रखना बाध्यता थी। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दैनिक मजदुर रखने की अनुमति दी गयी है। सफाई कर्मियों सहित अन्य कर्मचारियों के पद सृजन एवं स्वीकृति का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, स्वीकृति अप्राप्त है। श्री नसीरूद्दीन, कर संग्रहकर्त्ता की संविदा दिनांक–01.07.14 से रद्द कर दी गयी है।		
22	अग्रीम–	अग्रिम वसूली से संबंधित सूची संलग्न है।		
23	लेखा परीक्षा परिणाम–	----		
24	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्त्तालाप–	----		
25	सामान्य अभ्युक्ति–	पंजियों एवं अभिलेखों के रखरखाव में सुधार किया जायेगा एवं अन्य सुझावों का अनुसरण किया जायेगा।		

14/1/19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, जोगबनी
14/01/19